भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *64
29 नवम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जीएएमसीए चिकित्सा जांच केंद्र

***64. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में संचालित खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) अनुमोदित चिकित्सा केंद्र संघ (जीएएमसीए) के चिकित्सा जांच केंद्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए जीएएमसीए केंद्र स्थापित करने का कोई नया प्रस्ताव है;
(ग) यदि हां, तो विशेषत: आंध्र प्रदेश के संबंध में ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इन केंद्रों की स्थापना के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है
(घ) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के लोगों, जिन्हें चिकित्सा जांच के लिए वर्तमान में पड़ोसी राज्यों में जाना पड़ता है, के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) आंध्र प्रदेश के उत्प्रवास के इच्छुक नागरिकों की जीएएमसीए सेवाओं तक बेहतर सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

29 नवम्बर, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *64 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): भारत में खाडी़ सहयोग परिषद (जीसीसी) द्वारा अनुमोदित खाड़ी अनुमोदित चिकित्सा केंद्र संघ (जीएएमसीए) केंद्रों के चयन या इनके अनुमोदन की प्रक्रिया में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यह कवायद पूर्णत: खाडी़ स्वास्थ्य परिषद (जीएचसी) द्वारा की जाती है और इसे भारत में उनके दूतावासों/ कांसुलावासों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

संबंधित हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, विदेश मंत्रालय की ओर से अप्रैल 2024 में जीसीसी देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों को एक औपचारिक मौखिक नोट जारी किया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य से खाड़ी देशों में रोजगार के लिए प्रवास करने वाले घरेलू क्षेत्र के कामगारों की बड़ी संख्या को देखते हुए, इस राज्य में जीएएमसीए केंद्र खोलने के लिए कहा गया था।

*****